POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2021/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 सितम्बर, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न की शुरुआत की। उन्होंने देश को नया नारा देते हुए कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास के साथ-साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मिशन से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अगले 25 साल के विकास का खाका खींचा और 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना का ऐलान किया।

प्रधानमंत्री का यह ऐलान देश को तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला है। उनके द्वारा देश को दिए गए नए नारे का अर्थ है सबके साथ मिलजुल कर काम करना और सबके बीच विश्वास पैदा करना है। इसके लिए देश में सामाजिक सदभाव और संतुलन स्थापित करना सबसे जरूरी है। देश का हर नागरिक शांति से अपना जीवन यापन कर सके और देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

इसके लिए जहां प्रशासनिक इच्छाशक्ति का होना बेहद जरूरी है वहीं प्रशासनिक सुधार और उन पर ईमानदारी से अमल होना भी जरूरी है। विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना का ऐलान प्रशंसनीय है।

इससे विकास के नए अवसर सृजित होंगे। विचारणीय यह है, सर्वांगीण विकास के कई विषय मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास राज्यों की सूची से जुड़े विषय है। इसलिए जरूरी यह है कि केंद्र सरकार हर साल राज्यों को उदारतापूर्वक संसाधन उपलब्ध कराए।

हम जानते हैं कि संकट की स्थिति भारी परिवर्तन की राह पर ले जाती है। अब देश में विश्वास आधारित शासन प्रणाली की जरूरत है। प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं देश में प्रगति के नए द्वार खोलेंगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन बिल 2021 को मिली मंजूरी

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में बहुमत से मंजूर हुए इस विधेयक पर राज्यसभा में भी किसी ने विरोध नहीं किया। अब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने और कानून बनने पर लागू किया जाएगा। सरकार ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल जाति जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। अब वर्ष 2011 की जाति जनगणना के आंकड़ों को भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक

विधेयक के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्ग में आने वाले समुदायों तथा लोगों को शामिल किया गया है।

भारतीय संविधान द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरी, सभी शिक्षण संस्थानों और सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यक्रमों में आरक्षण दिया जाता है।

विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक समय है। यह सरकार की वंचित वर्गों की गरिमा, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विधेयक सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगा।

कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा, जिसे 127वें संविधान संशोधन बिल से आर्टिकल 342ए (3) लागू किया जाएगा। राज्य अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगे। पहले यह सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास था।

सहारा सिटी होम्स को भारी पड़ा फ्लैट का समय पर कब्जा नहीं देना

उपभोक्ता आयोग जयपुर में अशोक कुमार दिलबागी ने सहारा सिटी होम्स के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। दर्ज मामले के अनुसार उन्होंने टोंक रोड पर एक टाउनशिप में आवासीय फ्लैट्स स्वीमिग पूल, प्ले-ग्राउंड, हैल्थकेयर सहित अन्य सुविधाओं का विज्ञापन देख कर फ्लैट बुक कराया था। उन्होंने फ्लैट की अलॉटमेंट की एवज में मांगी गई पूरी राशि भी सहारा सिटी होम्स को जमा करा दी। लेकिन सहारा सिटी होम्स ने न तो परिवादी अशोक कुमार दिलबागी को फ्लैट का कब्जा ही दिया और न ही उन्हें जमा राशि ही लौटाई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा ने समय पर परिवादी को फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग ने सहारा सिटी होम्स पर दो लाख रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही आयोग ने फ्लैट बुकिंग व अलॉटमेंट के नाम पर सहारा सिटी होम्स द्वारा ली गई राशि 27 लाख 43 हजार 210 रुपए मय 9 प्रतिशत ब्याज सहित तीन महीने की अवधि में अशोक कुमार दिलबागी को लौटाने के आदेश दिए हैं।

ग्राम स्तरीय जागरुकता बैठक आयोजित

उचित, स्वास्थ्य वर्धक एवं सुरक्षित भोजन के लिए किया प्रेरित

'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा 'सीआईआई-एचयूएल' के सहयोग से संचालित परियोजना के तहत चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों की 12 ग्राम पंचायतों में महिलाओं और बालिकाओं को उचित, स्वास्थ्यप्रद व सुरक्षित भोजन और भोजन करने की अच्छी आदतों के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

हाल ही चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के एराल व नेतावलगढ़ पाछली एवं भीलवाड़ा जिले की कोदू कोटा ग्राम पंचायत में आयोजित बैठकों में महिलाओं को सुरक्षित रूप से भोजन नहीं करने से होने वाली बीमारियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले वर्ष 2020 के दौरान दो लाख 33 हजार बच्चों की मौत घातक बीमारी डायरिया के कारण हो गई। ऐसी खाद्यजनित बीमारियों से बचने के लिए हमें अच्छी आदतों जैसे खाना बनाने और खाना खाने से पहले साबुन से 20 सैकण्ड तक हाथ धोना जरूरी है। सभी को यह आदत बच्चों को भी सिखानी होगी।

अच्छा भोजन जिसमें हम 'तिरंगा थाली' (केसरिया रंग में दालें, फल आदि तथा सफेद रंग में चावल, छाछ, दही आदि और हरे रंग में हरी सब्जियां एवं फल आदि) का उपयोग कर सकते हैं। महिलाओं को रसोई या जहां खाना बनाते हैं वहां साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने को ढ़ककर रखना चाहिए, ताकि मक्खी मच्छर आदि खाने को दूषित नहीं करें।

इस परियोजना का खास मकसद जिलों में चुनिंदा ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के प्रति जागरूक करना है। साथ ही खाद्य से संबंधित खुदरा प्रतिष्ठानों में काम करने वालों, खाद्य आपूर्ति सेवा में लगे लोगों, घरों में खाना बनाने वाली महिलाओं आदि को भी इस अभियान में जोड़ा गया है, ताकि सुरक्षित भोजन की आदतों को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके। अभियान के तहत बच्चों व पुरुषों को भी स्वच्छ भोजन के बारे में नुक्कड़ नाटक जैसी अन्य गतिविधियों के माध्यम से जागरुक किया जा रहा है।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डोर-टू-डोर सर्वे किया जाकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत सभी पात्र परिवारों को जोड़ा जाना सुनिश्चित करें। यह योजना जनता को उपचार के महंगे खर्च से बचाएगी। इसमें राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ लोगों को निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज कराने की सुविधा है।

उन्होंने कहा कि एक भी जरूरतमंद पात्र परिवार इस योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों में इस योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसके लिए अस्पतालों में हैल्प डेस्क बनें।

सरकारी कर्मचारी खा गए गरीबों का गेहूं

प्रदेश में अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद 85 हजार सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले दो रुपए किलो का गेहूं उठाकर खाते रहे। मामला खुला तो सरकार अब इनसे बाजार में बिक रहे आटे के भाव यानी 27 रुपए किलो के हिसाब से पैसा वसूल कर रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 81 हजार 846 कर्मचारियों को रसद विभाग ने नोटिस दिए हैं। इनमें से 48 हजार 723 कर्मचारियों से 64 करोड़ 79 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। अभी 33 हजार 123 कार्मिकों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली होना बाकी है।

अपात्र लोगों ने उठाई किसान सम्मान निधि

राजस्थान में अब तक 2 लाख 18 हजार 934 ऐसे लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल साधारण किसानों को दिए जाने वाले 6000 रुपए उठाते रहे, जो इसके लिए पात्र नहीं थे। इनमें कई हर महीने लाखों रुपए कमाने वाले, आयकर देनेवाले और पेंशन धारक हैं। यहां तक कि कई लोगों के हाईवे पर कोठी और फार्म हाउस तक हैं।

लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र किसानों के चयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लाभार्थियों के ब्यौरे का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने पर यह गड़बड़ी सामने आई। तोमर ने कहा कि योजना में पैसे का दुरुपयोग रोकने और ऐसे लोगों से वसूली करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं।

नहीं मिला महिलाओं व बच्चों को पोषाहार

बच्चों को जन्म से पहले (गर्भवती महिला के जरिए) और जन्म के बाद 6 साल तक पोषणयुक्त आहार खिलाने के सरकार के दावे पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। राजस्थान सरकार ऐसे 35 से 37 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आहार तो दे रही है लेकिन उसमें निर्धारित पोषण नहीं मिल रहा है।

राज्य में अभी चावल व गेहूं घर तक पहुंचाया जा रहा है और राज्य सरकार इसे ही पोषाहार मान बैठी है। जबकि केंद्र सरकार का आदेश है कि पहुंचाए गए राशन में पोषणयुक्त आहार होना जरूरी है। इसमें दलिया, पोहा, खिचड़ी, उपमा, मुरमुरे व फल सहित अन्य उत्पाद भी हो सकते हैं, जिसमें जरूरत के मुताबिक विटामिन व मिनरल्स मिलाने चाहिए।

हर घर तक नल से पहुंच रहा है पानी

प्रदेश में जलजीवन मिशन के तहत घर-घर सरकारी नल से पानी पहुंचाने का कार्य अब रफ्तार पकड़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रेल से लेकर 5 अगस्त तक प्रदेश के 618 गांवों और 63 पंचायतों के एक लाख 790 घरों में सरकारी नल से पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है।

प्रदेश के 43 हजार 362 गांवों और ढाणियों में 20 लाख 59 हजार 435 परिवारों को सरकारी नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2019 से लेकर अब तक 8 लाख 85 हजार 304 से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इस साल मिशन के तहत 30 लाख घरों में सरकारी नल से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

गांवों में मोबाइल को दे रहे ज्यादा महत्व

कोरोना के चलते प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब लेपटॉप और मोबाइल प्राथमिक जरूरतों में माना जाने लगा है। बच्चों की ऑनलाइन चल रही पढ़ाई को देखते हुए ग्रामीण लेपटॉप और महंगे मोबाइल खरीदने को ज्यादा महत्व देने लगे हैं।

कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद बच्चों के अभिभावक यह मानने लगे हैं कि ऐसे हालात लम्बे समय तक चल सकते हैं। इससे पढ़ाई-लिखाई का अब यही माध्यम रह गया है। लोगों का कहना है कि बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहने लगे हैं और कहते हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए मोबाइल का होना जरूरी है। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से चलना पड़ता है।

ग्रामीण खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विभाग की ओर से इस साल ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन कराया जाएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने इस बारे में घोषणा कर दी है। इसके तहत नवम्बर से जनवरी के बीच प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं होंगी।

खेल प्रतियोगिताओं के लिए खेल विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को अलग से बजट भी दिया जाएगा। खेलों में केरियर बनाने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों को इस आयोजन से प्रोत्साहन मिलेगा और हुनरमंद खिलाड़ियों को पहचान मिलेगी।

उपभोक्ता कोर्ट में क्यों है पद खाली ?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग व राज्यों में उपभोक्ता अदालतों में खाली पड़े पदों को न भरने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय की पीठ ने केंद्र व राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा 'क्या खाली पदों को भरने के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा। लोगों को उम्मीद रहती है कि उनकी शिकायतों का जल्द निवारण होगा। इस उम्मीद को मत डुबाइए। हम खाली पदों पर नियुक्तियां चाहते हैं। केंद्र व सभी राज्य उपभोक्ता अदालतों में खाली पड़े सभी पदों को आठ सप्ताह के भीतर भरें।' कोर्ट ने कहा, अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो केंद्र के अफसरों और राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करेंगे।

प्रदेश में कम रहा कोरोना का ग्राफ

पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई अहमियत के फलस्वरूप राजस्थान में गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान बनी है। इससे यहां कोरोना के कन्फर्म केस कम सामने आए है।

हाल ही ऑक्सफैम इंडिया की जारी असमानता रिपोर्ट -2021 में यह तथ्य सामने आया है। कन्फर्म केस के मामले में राजस्थान 11वें नंबर पर है। यहां से अधिक मामले महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली आदि में हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, भामाशाह एवं चिरंजीवी बीमा जैसी योजनाओं के चलते समाज के निचले तबके तक के लिए सरकारी सहित बड़े और महंगे निजी अस्पतालों में भी इलाज करवाना आसान हुआ है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कद्दू' जयपुर